इन आरईः सीमा विस्तार के लिए सहमति

2021 का विविध आवेदन संख्या 665

में

(2020 का एस. एम. डब्ल्यू. (सी) संख्या 3)

23 सितंबर, 2021

[एन. वी. रमना, सीजेआई, एल. नागेश्वर राव और

सूर्या कान्ट, जे. जे.]

कोविड-19 महामारी सीमा,-- का विस्तार 23.03.2020 पर, इस न्यायालय ने अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया था

इस न्यायालय सहित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के समक्ष सभी कार्यवाहियों में सीमा, डब्ल्यू. ई. एफ. 15.03.2020 अगले आदेश तक-08.03.2021 पर,

चूंकि कोविड-19 वायरस के प्रसार में कमी आई थी, इसलिए एक आदेश पारित किया गया था कि किसी भी मुकदमे, अपील, आवेदन या कार्यवाही के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, 15.03.2020 से 14.03.2021 तक की अवधि को बाहर रखा जाएगा-इसके बाद, कोविड-19 मामलों में दूसरी वृद्धि हुई, जिसका विनाशकारी और दुर्बल करने वाला प्रभाव एमए नंबर था। 665 2021 का अभिलेख अधिवक्ताओं द्वारा दायर किया गया था

दिनांकित 23.03.2020-आदेश की बहाली की मांग करने वाले संघ को पुनर्स्थापित किया गया था और दिनांकित 23.03.2020 आदेश की निरंतरता में, इस निर्देश के साथ कि सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष कानून के तहत निर्धारित सीमा की अवधि, चाहे वह क्षम्य हो या न हो, अगले आदेश तक बढ़ाई जाएगी।

इस न्यायालय द्वारा 23.03.2020 पर पारित प्रारंभिक आदेश को जारी रखने और अवधि में छूट की कोई आवश्यकता नहीं है।

सीमा को आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए, एम. ए. नं. 665 2021 का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता हैः किसी भी मुकदमे, अपील, आवेदन या कार्यवाही के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, 15.03.2020 से 02.10.2021 तक की अवधि को बाहर रखा जाएगा।

नतीजतन, 15.03.2020 पर शेष सीमा अवधि, यदि कोई हो, से उपलब्ध होगी

03.10.2021 – ऐसे मामलों में जहां सीमा समाप्त हो गई होगी

15.03.2020 से 02.10.2021 के बीच की अवधि के दौरान,

सीमा की वास्तविक शेष अवधि के बावजूद, सभी व्यक्तियों के पास 90 दिनों की सीमा अवधि होगी-यदि सीमा की वास्तविक शेष अवधि, 03.10.2021 से प्रभावी, 90 दिनों से अधिक है, जो कि 1099 [2021] 7 एस. सी. आर. से अधिक है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अवधि लागू होगी-एस. एस. के तहत निर्धारित अवधि की गणना में 15.03.2020 से 02.10.2021 तक की अवधि भी बाहर रहेगी। 23 (4) और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 का 29 ए,

एस. 12 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का ए और धाराओं के प्रावधान (बी) और (सी)। 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 और कोई अन्य

कानून, जो कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की अवधि (ओं) निर्धारित करते हैं, बाहरी सीमाएं (जिसके भीतर अदालत या न्यायाधिकरण देरी को माफ कर सकता है) और कार्यवाही की समाप्ति-सरकार

भारत सरकार नियंत्रण क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन करेगी, जिसमें कहा जाएगा कि "चिकित्सा आपात स्थितियों, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए विनियमित आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।

कार्य, जैसे कि समयबद्ध आवेदन, जिसमें कानूनी उद्देश्य और शैक्षिक और नौकरी से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हैं।

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः 2020 के एस. एम. डब्ल्यू. (सी) संख्या 03 में 2021 का विविध आवेदन संख्या 665।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., एस. निरंजन रेड्डी, पी. एच. पारेख, सौम्या चक्रवर्ती, विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , बी. वी. बलराम दास, शिवाजी एम.

जाधव, मनोज के. मिश्रा, डॉ. जोसेफ एस. अरस्तू, सुश्री दीक्षा राय, निखिल जैन, अतुलेश कुमार, डॉ. अमन हिंगोरानी, सुश्री अंजू वर्की, सचिन शर्मा, अल्जो जोसेफ, वरिंदर कुमार शर्मा, अभिनव रामकृष्ण, महफूज अहसान नाज़की, पोलंकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ, टी. विजय भास्कर रेड्डी, अमिताभ सिन्हा, केवी गिरीश चौधरी, समीर पारेख, क्षत्रशाल राज, सुश्री तान्या चौधरी, सुश्री प्रत्युषा।

प्रियदर्शिनी, सुश्री नितिका पांडे, संजय कुमार पाठक, सुश्री शशि

पाठक, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री पल्लवी बरुआ, प्रतीक कुमार, अशोक निझावन, अमन भल्ला, सुश्री अनिंदिता मित्रा, पवन रेले, अक्षय लोधी, विनोद शर्मा, जॉयदीप रॉय, सजल अवस्थी, बिनोद कुमार सिंह, पारिजात सोम, यशवर्धन, अपूर्व शुक्ला, सुश्री स्मिता कांत, सुश्री इशिता फरसैया, सुश्री प्रभलीन कौर, सुश्री कृतिका नागपाल, सुश्री भव्य भाटिया, अर्जुन गर्ग, आकाश नंदोलिया, सुश्री सागुन श्रीवास्तव, सुश्री सुनीता ओझा, पी. आई. जोस, प्रशांत के. शर्मा, जेनिस वी. फ्रांसिस, अविज। तिवारी, सुश्री एलिजा बार, अपूर्व कुरुप, सुश्री निधि मित्तल, सुश्री बीनू टम्टा, ध्रुव टम्टा, सुश्री प्रतिभा जैन, दिव्यकांत लाहोटी, परीक्षित आहूजा, सुश्री प्रवीण बिष्ट, सुश्री मधुर झावर, सुश्री विंध्य मेहरा, कार्तिक लाहोटी, राहुल माहेश्वरी, सुश्री शिवांगी मल्होत्रा, तपेश कुमार सिंह, आई. एन. आर. ई.:

सीमा विस्तार के लिए सहमति

आदित्य प्रताप सिंह, श्रीमती एल. भास्वती सिंह, आदित्य नारायण दास, सुश्री उत्तरा बब्बर, मनन बंसल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. मार्च, 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, इस न्यायालय ने उन कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान लिया जो हो सकती हैं

के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर याचिकाएं/आवेदन/मुकदमे/अपील/अन्य सभी कार्यवाहियां दायर करने में वादियों का सामना करना पड़ता है

सीमा का सामान्य कानून या किसी विशेष कानून (केंद्रीय और/या राज्य दोनों) के तहत। आई. डी. 1 पर, इस न्यायालय ने इस न्यायालय डब्ल्यू. ई. एफ. सहित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के समक्ष सभी कार्यवाही में सीमा की अवधि को अगले आदेश तक बढ़ाने का निर्देश दिया।

2. कोविड-19 वायरस के प्रसार में कमी और सामान्य स्थिति बहाल होने को ध्यान में रखते हुए, 08.03.2021 पर सुओ मोटू कार्यवाही में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

" 1. किसी भी वाद, अपील, आवेदन या कार्यवाही के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, 15.03.2020 से लेकर

14.03.2021 बहिष्कृत रहेगा। नतीजतन, 15.03.2020 पर शेष सीमा अवधि, यदि कोई हो,

15.03.2021 से उपलब्ध हो जाता है।

2. ऐसे मामलों में जहां सीमा समाप्त हो गई होगी

15.03.2020 से 14.03.2021 के बीच की अवधि, सीमा की वास्तविक शेष अवधि के बावजूद

शेष, सभी व्यक्तियों की 90 की सीमा अवधि होगी।

15.03.2021 से दिन। यदि सीमा की वास्तविक शेष अवधि शेष रहती है, तो 15.03.2021 से प्रभाव अधिक होता है। 90 दिनों से अधिक, वह लंबी अवधि लागू होगी।

3. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 23 (4) और 29 ए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12 ए और प्रावधानों के तहत निर्धारित अवधि की गणना करने में भी 15.03.2020 से 14.03.2021 तक की अवधि को बाहर रखा जाएगा।

(बी) और (सी) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 और कोई अन्य कानून, जो निम्नलिखित अवधि (ओं) निर्धारित करते हैं -

कार्यवाहियों की स्थापना के लिए सीमा, बाहरी सीमाएँ (जिसके भीतर न्यायालय या न्यायाधिकरण देरी को माफ कर सकता है) और

कार्यवाही।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. भारत सरकार दिशा-निर्देशों में संशोधन करेगी कंटेनमेंट जोन, राज्य के लिए।

" चिकित्सा के लिए विनियमित आवाजाही की अनुमति होगी

आपात स्थिति, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान, और अन्य आवश्यक कार्य, जैसे कि कानूनी उद्देश्यों सहित समयबद्ध आवेदन, और शैक्षिक और नौकरी से संबंधित कार्य।

आवश्यकताएँ "।

3. इसके बाद, कोविड-19 मामलों में दूसरी बार वृद्धि हुई, जिसका विनाशकारी और दुर्बल करने वाला प्रभाव पड़ा। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एस. सी. ए. ओ. आर. ए.) ने दिनांकित 23.03.2020 आदेश की बहाली के लिए 2021 का विविध आवेदन No.665 दाखिल करके सुओ मोटू कार्यवाही में हस्तक्षेप किया। एस. सी. ए. ओ. आर. ए. द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने 27.04.2021 पर निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" हम इस तथ्य पर भी न्यायिक ध्यान देते हैं कि कोविड-19 वायरस के मामलों में भारी वृद्धि केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि

इसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। कोविड-19 वायरस के अचानक और दूसरे प्रकोप के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति के लिए सभी राज्यों में वादियों-जनता की कठिनाइयों को कम करने के लिए असाधारण उपायों की आवश्यकता है। इसलिए हम 23 मार्च, 2020 के आदेश को बहाल करते हैं।

8 मार्च, 2021 के आदेश में निर्देश दिया गया है कि

सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में किसी सामान्य या विशेष कानून के तहत निर्धारित सीमा,

चाहे माफ किया जा सके या नहीं, आगे तक बढ़ाया जाएगा।

आदेश देते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 14 मार्च, 2021 से अगले आदेश तक की अवधि भी गणना में शामिल नहीं होगी।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 23 (4) और 29 ए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12 ए और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान (बी) और (सी) के तहत निर्धारित अवधि।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 और कोई भी

अन्य कानून, जो सीमा की अवधि निर्धारित करते हैं

कार्यवाहियों की स्थापना, बाहरी सीमाएँ (जिसके भीतर न्यायालय

या न्यायाधिकरण देरी को माफ कर सकता है) और समाप्ति

कार्यवाही।

हमने आई. एन. आर. ई. के संविधान के अनुच्छेद 141 के साथ पठित अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया हैः

सीमा विस्तार के लिए सहमति

भारत। अतः यह अर्थ के भीतर एक बाध्यकारी आदेश होगा।

सभी न्यायालयों/न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों पर अनुच्छेद 141।

4. घातक कोविड-19 वायरस की एक और लहर के बारे में सभी अनिश्चितताओं के बावजूद, यह आसन्न है कि 08.03.2021 दिनांकित आदेश को बहाल कर दिया जाए क्योंकि स्थिति सामान्य के करीब है।

5. हमने भारत के विद्वान महान्यायवादी, श्री विकास सिंह, भारत के चुनाव आयोग के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है,

श्री शिवाजी एम. जाधव, एस. सी. ए. ओ. आर. ए. और अन्य विद्वान अधिवक्ताओं के विद्वान वकील। इस बात पर सर्वसम्मति है कि इस न्यायालय द्वारा 23.03.2020 पर पारित प्रारंभिक आदेश को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और सीमा की अवधि में छूट को आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। श्री विकास सिंह का तर्क है कि 08.03.2021 दिनांकित आदेश को संशोधन के अधीन बहाल किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिनांकित 08.03.2021 आदेश के पैराग्राफ नंबर 2 में यह प्रावधान है कि 90 दिनों की सीमा अवधि 15.03.2021 से शुरू होगी, उन मामलों में सीमा की अवधि के वास्तविक संतुलन के बावजूद जहां सीमा समाप्त हो गई है। 15.03.2020 और 14.03.2021। उनके अनुसार, 15.03.2020 से पहले की सीमा की अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए और दाखिल करने के उद्देश्य से केवल सीमा की शेष अवधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

मामले।

6. 23.03.2020 दिनांकित आदेश को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था

असाधारण स्वास्थ्य संकट। 08.03.2021 पर, 23.03.2020 दिनांकित आदेश को समाप्त कर दिया गया था, जिससे 15.03.2020 और 14.03.2021 के बीच सीमा की अवधि में छूट की अनुमति दी गई थी। ऐसा करते समय, यह स्पष्ट किया गया था कि सीमा की अवधि 15.03.2021 से शुरू होगी। जैसा कि 08.03.2021 का उक्त आदेश केवल एक बार का उपाय था, महामारी को देखते हुए, हम इसमें निहित शर्तों को संशोधित करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

दिनांकित आदेश 08.03.2021। 7. भारत के विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि 08.03.2021 दिनांकित आदेश के पैराग्राफ नंबर 4 को जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि

कुछ राज्यों में आज भी कुछ निषिद्ध क्षेत्र हैं।

8. इसलिए, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ 2021 के एम. ए. No.665 का निपटान करते हैंः -

किसी भी वाद के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, अपील,

आई.

आवेदन या कार्यवाही, 15.03.2020 से 02.10.2021 तक की अवधि को बाहर रखा जाएगा। नतीजतन, संतुलन सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15.03.2020 पर शेष सीमा की अवधि, यदि कोई हो,

ऐसे मामलों में जहां 15.03.2020 से 02.10.2021 के बीच की अवधि के दौरान सीमा समाप्त हो गई होगी, सीमा की वास्तविक शेष अवधि के बावजूद

शेष, सभी व्यक्तियों की 90 की सीमा अवधि होगी। 03.10.2021 से दिन। यदि सीमा की वास्तविक शेष अवधि शेष है, तो 03.10.2021 से प्रभावी है

90 दिनों से अधिक, वह लंबी अवधि लागू होगी।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 23 (4) और 29 ए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12 ए के तहत निर्धारित अवधि की गणना करने में भी 15.03.2020 से 02.10.2021 तक की अवधि को बाहर रखा जाएगा और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के प्रावधान (बी) और (सी) और कोई अन्य कानून, जो कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करते हैं, बाहरी सीमाएं (जिसके भीतर अदालत या न्यायाधिकरण देरी को माफ कर सकता है) और

कार्यवाही की समाप्ति।

भारत सरकार दिशा-निर्देशों में संशोधन करेगी

:

कंटेनमेंट जोन, राज्य के लिए।

चिकित्सीय आपात स्थितियों, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के निरीक्षण और अन्य आवश्यक कार्यों जैसे समयबद्ध आवेदनों के लिए विनियमित आवाजाही की अनुमति दी जाएगी, जिसमें कानूनी कार्य भी शामिल हैं।

शिक्षा और नौकरी से संबंधित आवश्यकताएँ "।

विविध आवेदन का निपटारा किया गया।

राल।